न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

अध्याशित:— श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

दावा सं0
270 / 13

दायर दिनांक
15.3.13

निर्णय दिनांक
10.10.22

उनवान

1. सूबे खां पुत्र हुसैन खां जाति मेव निवासी ग्राम सिवाना तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।

:—वादी

बनाम

1. कमला देवी बेवा ठाकुरदास
2. मोहनलाल पुत्र ठाकुरदास
3. जय कुमार पुत्र ठाकुरदास
4. चंद्रा पुत्री ठाकुरदास
5. विद्यादेवी पुत्री ठाकुरदास
6. सीमा पुत्री ठाकुरदास जाति खत्री निवासी सिवाना तहसील किशनगढ़बास हाल जोधपुर राज0।
7. राज्य सरकार जरिये उप पंजीयक (तहसीलदार) साहब, किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।

:— प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाईदवामी उंतर्गत धारा 88, 89 वो 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:— वादी की ओर से वकील श्री शीतल प्रसाद ।
प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री सुरेश चौधरी ।

निर्णय

दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है। वकील वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा संख्या हाल 410 / 0.43, 831 / 0.39हे0 किता 2 कुल रकबा 0.82हे0 वाके ग्राम सिवाना तहसील किशनढ़बास में स्थित है। जो आराजी आगे वाद में विवादित आराजी कहलावेगी।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

उपरोक्त विवादित आराजी परमिन वादी अर्साकरीब 30 साल से काबिज चला आ रहा काश्तकरता चला आ रहा है। फसल हाल गेहूं बोई हुई है। आराजी में मिनवादी ने थर हाल रखे हैं तड़ा के लिए बोंगा बनाया हुआ है। अपने पशुओं को बांधते हैं। रिहायश ा हुई है। मकानात बनाये हुए हैं। वो मिन वादी ने विवादित आराजी के साथ लगती हुई न वादी की खातेदारी की भूमि स्थित है जिसमें मिलाया हुआ है। एक खेत बनाया हुआ ।प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 का पिता वो पति ठाकुरदास पुत्र जेठामल खत्री है जो र्साकरीब 50 साल से गांव सिवाना में नहीं रहता है ना ही गांव में उसका कोई मकान है ा कहीं बाहर रहता हैं। ना ही उसका उपरोक्त विवादित आराजी पर कभी कब्जता रहा ाही उसने उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त किया। वह फर्जकारी प्रतृति का व्यक्ति ा जिसने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम का गलत इन्द्राज आराजी विवादित र करा लिया जो गलत इन्द्राज बिलाआधार खिलाफ कानून बिला कब्जा है। जो गलत इंद्राज संवत 2061 से 2064 कायम रहने से मिनवादी के हकूकों के विरुद्ध बातिल वो ।असर है नाकाबिल पाबंदी है कलमजन किये जाने योग्य है वो मिन वादी अपने आपको ब्रातेदार घोषित कराने का अधिकारी है।

ठाकुरदास की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 ने खिलाफ कानुन बिला कब्जा अपने नाम विरासत का इंतकाल सं0 678 मिन वादी को बिना सुने गुपचुप तरीके से अपने नाम स्वीकार करा लिया । गलत इन्द्राज राजस्व रिकॉर्डस जमाबंदी सं0 2061 से 2064 हकूक वादी के विरुद्ध बातिल वो बेअसर है। नाकाबिल पाबंदी है। वो कलमजन किये जाने योग्य है। . प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 ने दिनांक 26.03.2008 को गांव में आकर मिन वादी को गलत इंद्राज के आधार पर बेदखल करने वो दीगर लोगों को बेचान करे की ऐलानिया धमकी दी जिस पर मिन वादी ने पटवारी हल्का से जमाबंदी सं0 2061 से 2064 प्राप्त की वो गलत इन्द्राज की बाबत सर्वप्रथम जानकारी हुई जिसे कलमजन कराने के लिए प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 को कहा तो वो साफ इंकार हो गये वो गलत इंद्राज के आधार पर दीगर लोगों को बेचान करने की धमकी दी। यदि प्रतिवादी सं0 1लगायत 6 अपने नापाक इरादों में कामयाब होगये तो मिन वादी को अजहद हानि होगी जिसकी कीमत रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। अतः अविलंब ही दावा दायर करना आया।

6. प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 गलत इन्द्राज के आधार पर दीगर लोगों को बेचान करने पर आमादा है वो प्रतिवादी सं0 7 से बयनामा पंजीबद्ध कराने पर आमादा हैं। मामला अर्जेंट नेचर का है इसलिए प्रतिवादी सं0 7 को धारा 80 जा0दी का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए बिना नोटिस दिये ही वाद दायर किया जारहा है। प्रार्थनापत्र धारा 80(2) जा0 दी अलग से पेश किया जा रहा है।

7. अतः प्रार्थना है कि बादतहकीकात वाद वादीबहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावेः—

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

... ... जावे कि आराजी खसरा संख्या हाल 410 / 0.43, 831 / 0.39हे0 किता 2
न रकबा 0.82हे0 वाके ग्राम सिवाना तहसील तिजारा का वाद खातेदार काश्तकार है वो
ी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी का अमल किया जावे।

करार दिया जावे कि राजस्व रिकॉर्ड में पहले ठाकुरदास का वो उसकी मृत्यु के बाद
तिवादी सं0 1 लगायत 6 का नाम 2061 से 2064 में गलत इंद्राज हो रहा है वो गलत
द्राज हकूक वादी के विरूद्ध बातिल वो बेअसर है नाकी बिल पाबंदी है। प्रभाव शून्य है।
ुलमजन किया जाकर वादी के नाम खातेदारी का इन्द्राज किया जावे।

. जरिये हुक्मइम्तनाईदवामी से प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वो आराजी उक्त से
नबरन वादी को बेदखल नही करे ना ही कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करें ना ही जरिये
हन बयहिबालीजइत्यादि के द्वारा किसी दीगर व्यक्ति को बेचान करे। मुंतकिल नहीं करें
ुर्दबुर्द नहीं करे वो प्रतिवादी सं0 7 को पाबंद किया जावे कि वो उक्त आराजी का
यनामा पंजीबद्ध नहीं करे।

द. खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

य. दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत मुनासिब हो बख्शी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण वादीगण के वाद को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया कि विवादित आराजी से वादी को कोई संबध सरोकार नही है। जमाबंदीयात में प्रतिवादी नं0 1 के पति व प्रतिवादी नं0 2 लगा0 6 के पिता ठाकूरदास की कब्जे काश्त खातेदारी आराजी थी जिस पर ठाकुरदास जीवन पर्यन्त काबिज काश्त रहा तथा ठाकूरदास की मृत्यु के पश्चात मिन प्रतिवादीगण के नाम विधिवत तरीके से विरासत का इंतकाल दर्ज व मंजूर हो चुका है तथा आराजी ख0न0 410 / 0.43, 831 रकबा 0.39 हे0, किता 2 रकबा 0.82 हे0 वाके ग्राम सिंवाना पर मिन प्रतिवादीगण के नाम का अमल बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी गैर वास्ता गैर काबिज आराजी है जिसका विवादित आराजी से कोई संबध व सरोकार नही है। मुताबिक मौका रिपोर्ट विवादित आराजी से वादी का कोई वास्ता नही है। ना ही वादी का कब्जा है। इस प्रकार वादी गैर काबिज आराजी है। जिसका विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नही रहा वादी ने एडवर्स पजेशन का तथ्य भी मनगंढत दर्ज किया है ऐसी स्थिति मे वाद वादी हर सूरत में खारिज किये जाने योग्य है।

जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य ली गई वादीगण ने साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पीडब्लू–1, शिवलाल पुत्र कुडाराम पीडब्लू–2,रहमान पुत्र मौजखां पीडब्लू–3, निजर मोहम्मद पुत्र चन्दरखां पीडब्लू–4 इशेखां

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

हुसैनखां पीडब्लू–5 के बयान कराये है। दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा टैस प्रदर्श–1 किता नकल जमाबंदी सम्वत 2061–64 प्रदर्श–2 पेश किये है।

तथा वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य के रूप में डीडब्लू–1 कमला प्रतिवादी सं0 1 स्वयं, ब्लू–2 जयकुमार पुत्र ठाकुरदास खत्री, डी. डब्लू–3 अशोक कुमार पुत्र स्व0 होलाराम शपथ पत्र पेश किये गये।

हमने वकील अभिभाषक गण की बहस सुनी गई तथा वकील वादी ने द में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादी को डिक्री किये जाने की इश्तदुआ की। था वकील प्रतिवादीगण ने अपने जबाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादी को ारिज किये जाने की इश्तदुआ की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त वलोकन किया तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है:–

नकी नं0–1 आया एडवर्स पजेशन के आधार पर आराजी खसरा संख्या 410 रकबा 0.13हे0, 831 रकबा 0.39हे0 कुल किता 2 रकबा 0.8200हे0 वाके ग्राम सिवाना तहसील केशनगढ़बास पर वादी को हकूक खातेदारी प्राप्त हो चुके हैं। जिस खातेदारी का इन्द्राज वादी राजस्व रिकॉर्ड करने का अधिकारी है। इस तनकी का भार वादी पर था। पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट 24.4.2008 में तहसीलदार किशनगढबास ने प्रतिवादी की कब्जा काश्त बताई । तथा बयनामा दिनांक 27.5.78 के द्वारा पेशुमल ने गणेशीलाल को बेचान किया था जबकि पेशुमल का नाम रिकार्ड में दर्ज नही था उसने किस हैसियत से बयनामा कराया गया। यह तथ्य वादी सिद्ध नही कर पाया । रही बात खातेदारी हकूको बाबत वादी ने ऐसा कोई दस्तोवज अथवा साक्ष्य पेश नही किया वादी किस हैसीयत से अपने आपको विवादित आराजी का खातेदार घोषित करा सकता है। क्योकि मौका रिपोर्ट एवं संलगन राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण खातेदार है। जो वाद में उपस्थित हुए है। इस प्रकार वादी के नाम से खातेदारी का अंकन करना विधि विरूद्व है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादी तय की जाती है।

तनकी नं0:– 2. आया वाद उपरोक्त आराजी पर जर्ये हुकम इम्तनाई दवामी प्रतिवादी को पाबंद कराने का अधिकारी है। इस तनकी का भार वादी पर था। तहसीलदार किशनगढबास से प्राप्त मौका रिपार्ट दिनांक 24.4.2008 में प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त बताई तथा उपस्थित व्यक्तियो ने भी प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त होना स्वीकार किया गया। संलग्न जमाबंदी संवत 2061–64 में प्रतिवादीगण के नाम इंतकाल दर्ज हो रहा है। तथा वादी ने कोई खसरा गिरदावरी पेश नही की जिसमें वादी की काश्त का अंकन हो। इसलिए राजस्व रिकार्ड में अंकित मूल खातेदारान को वादी किसी प्रकार से पाबंद कराने का अधिकारी नही है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

नं0–3. आया आराजी ख0 नं0 410 रकबा 0.43हे0, 831 रकबा 0.39हे0 कुल किता 2 0.82हे0वाके ग्राम सिवाना प्रतिवादी नं0 1 के पति व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 6 के ठाकुरदास की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। तथा वर्तमान में प्रति0 नं0 1 यत 6 का नामांतकरण बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। इस तनकी का भार

वादी पर था। तनकी नं0 1 व 2 से साबित है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी के ेदार काश्तकार है। क्योकि जमाबंदी संवत 2061–64 में प्रतिवादीगण के नाम राजस्व ार्ड में खातेदारी का अंकन हो रहा है तथा रिपोर्ट तहसीलदारनुसार अतः यह तनकी भी द्ध वादी तय की जाती है।

की नं0:–4. आया वादी गैर वास्ता, गैर काबिज, आराजी है। जिसका विवादित आराजी कोई संबंध वो सरोकार नहीं है। इस तनकी का भार प्रतिवादी पर था चूकि तनकी नं0 लगा0 3 प्रतिवादी के पक्ष में तय हो चूकि है अतः यह तनकी भी बहक प्रतिवादी विरूद्व दी तय की जाती है।

नकी नं0–5. आया उप पंजीयक का पक्षकार आप पाने से पूर्व 2 माह का नोटिस दिया ाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में दावा खारिज किये जाने योग्य है। इस तनकी का भार तिवादी पर था। वादी ने दावा के दौरान प्रा0पत्र 80 जा0दी0 पेश किया हुआ। दावा के रा सं0 7 में अंकन किया हुआ है। जिससे साबित होता है कि धारा 80 जा0दी0 अलग से ाश कर रखा है। अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार किये गये विवेचनानुसार वादीगण का वाद साबित नही होता है। अतः दावा खारिज किया जाना कानून संगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत आराजी ख0न0 410 रकबा 0.43हे0, 831 रकबा 0.39 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.82 हे0 वाके ग्राम सिवाना तहसील किशनगढबास सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभयपक्ष स्वयं वहन करेगें । पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

यालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

अध्याशितः— श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

ा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
।/13	15.3.13	10.10.22

<u>उनवान</u>

सूबे खां पुत्र हुसैन खां जाति मेव निवासी ग्राम सिवाना तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।

:—वादी

बनाम

. कमला देवी बेवा ठाकुरदास
मोहनलाल पुत्र ठाकुरदास
3. जय कुमार पुत्र ठाकुरदास
4. चंद्रा पुत्री ठाकुरदास
5. विद्यादेवी पुत्री ठाकुरदास
6. सीमा पुत्री ठाकुरदास जाति खत्री निवासी सिवाना तहसील किशनगढ़बास हाल जोधपुर राज0।
7. राज्य सरकार जरिये उप पंजीयक (तहसीलदार) साहब, किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।

:— प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाईदवामी उंतर्गत धारा 88, 89 वो 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः— वादी की ओर से वकील श्री शीतल प्रसाद ।

प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री सुरेश चौधरी ।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

पर्चा डिक्री

वाद वादीगण वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण वावत आराजी ख0न0 410 0.43हे0, 831 रकवा 0.39 हे0 कुल किता 2 रकवा 0.82 हे0 वाके ग्राम सिवाना ल किशनगढवास सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभयपक्ष वहन करेगें । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो निर्णय टंकित कराया र खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)